1/1

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली–2010

अधिसूचना

संख्या– 3185 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–25 (4) एवं धारा–419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय स्व निकायों के मुख्य पार्षद/उपमुख्यपार्षद के विरुद्ध लाये जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर विचार एवं इसके सम्यक् निष्पादन हेतु निम्नलिखित नियमावली, जिसका प्रारूप पूर्व प्रकाशित है, बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।– (1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 25(4) के अन्तर्गत मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर विचार एवं उसका निष्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:–

(i) मुख्य पार्षद/उपमुख्य पार्षद को हटाये जाने के लिए निर्वाचित पार्षदों की विशेष बैठक आहूत की जाएगी। ऐसी विशेष बैठक निर्वाचित पार्षदों के कम–से–कम एक–तिहाई पार्षदों द्वारा अध्यपेक्षित एवं हस्ताक्षरित होगी जो मुख्य पार्षद को दी जायगी। मुख्य पार्षद द्वारा, अध्यपेक्षा की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर नगर स्थानीय निकाय की विशेष बैठक के लिए सूचना निर्गत की जाएगी और सूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर बैठक का आयोजन किया जाएगा।

(ii) विशेष बैठक की अध्यक्षता, यदि अविश्वास प्रस्ताव उपमुख्य पार्षद के विरुद्ध हो, मुख्य पार्षद द्वारा की जायगी और, यदि यह मुख्य पार्षद के विरुद्ध हो, अध्यक्षता उपमुख्य पार्षद द्वारा की जायगी और, यदि यह मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद दोनों के विरुद्ध हो तो बैठक की अध्यक्षता, बैठक में पार्षदों द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्वाचित पार्षद द्वारा की जायेगी। मुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के लिए आहूत बैठक के अवसर पर उपमुख्य पार्षद का पद रिक्त रहने की दशा में अथवा आहूत बैठक में उसके अनुपस्थित रहने पर अथवा उपमुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के लिए आहूत बैठक के अवसर पर मुख्य पार्षद का पद रिक्त रहने की दशा में अथवा आहूत बैठक में उसके अनुपस्थित रहने पर, बैठक की अध्यक्षता बैठक में इस प्रयोजनार्थ पार्षदों द्वारा निर्वाचित पार्षद के द्वारा की जायेगी।

(iii) मुख्य पार्षद द्वारा बैठक हेतु नियत तिथि के भीतर सूचना निर्गत नहीं करने पर अथवा नियत तिथि के भीतर बैठक का आयोजन नहीं करने की स्थिति में अधियाचकों द्वारा विशेष बैठक बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 48 (3) के अनुसार बुलायी जायेगी और इसके लिये सूचना मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के द्वारा निर्गत की जायेगी।

(iv) मुख्य पार्षद/उपमुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु निर्गत सूचना में उन कारण/आरोप, जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना हो, स्पष्ट रूप से अंतर्विष्ट किये जायेंगे।

(v) जैसे ही बुलायी गयी बैठक प्रारम्भ होगी, बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलायी गयी हो, और उसे विचार–विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा। विचार–विमर्श के दौरान उस मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जायेगा। विचार–विमर्श के उपरांत उसी दिन बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के द्वारा प्रस्ताव गुप्त मतदान द्वारा मतदान के लिए प्रस्तुत किया जायेगा तथा मतगणना के पश्चात् परिणाम घोषित किया जायेगा।

(vi) बैठक की गणपूर्ति बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 50 के प्रावधान के अनुसार होगी।

(vii) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद दोनों पद के रिक्त हो जाने की स्थिति में नये मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद का निर्वाचन होने तक, अधिनियम या उनके अधीन बनायी गयी नियमावलियों, विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन, मुख्य पार्षद द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं अनुपालन किये जाने वाले कर्तव्यों का प्रयोग एवं अनुपालन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(viii) प्रक्रिया पूर्ण होने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी लिखित प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को समर्पित करेगा।

(ix) जहाँ अविश्वास प्रस्ताव के फलस्वरूप मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के पद रिक्त हो जायं वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवेदन की तिथि से तीस दिनों के भीतर नये मुख्य पार्षद/उपमुख्य पार्षद अथवा दोनों को निर्वाचित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/- 7/6/10
(अरविन्द कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–4 (न) विधि–6/2009– 3185 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांकः– 7-6-10

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट के 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराये जाय।

ह0/- 7/6/10
सरकार के उप सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–4 (न) विधि–6/2009– 3185 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांकः– 7-6-10

प्रतिलिपिः प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना, मगध, भागलपुर, तिरहुत, सारण, मुंगेर, कोशी, दरभंगा और पूर्णियां प्रमण्डल/सभी जिला पदधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 7/6/10
सरकार के उप सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–4 (न) विधि–6/2009– 3185 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांकः– 7-6-10

प्रतिलिपिः सभी मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद/सभी नगर आयुक्त/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी/सभी नगर निगम/सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 7/6/10
सरकार के उप सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–4 (न) विधि–6/2009– 3185 /न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांकः– 7-6-10

प्रतिलिपिः सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 7/6/10
सरकार के उप सचिव–सह–निदेशक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या– 3185/2008 अधिसूचना संख्या– दिनांक– 7.6.10 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अरविन्द कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव सह निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban development and Housing Department

Bihar Municipal No Confidence Motion Process Rules-2010

Notification

No- / In Exercise of powers conferred by section 25 (4) and 419 of the Bihar Municipal Act, 2007 Governor of Bihar is pleased to make the following Rules, the draft of which is previously published, for deciding the process and conduct of the No Confidence Motion to be brought against Chief Councillor/Deputy Chief Councillor of the Urban Local Self Bodies.

1. Short name, extent and commencement. (1) These rules may be called the Bihar Municipal No Confidence Motion Process Rules-2010

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. No Confidence Motion brought under Section 25 (4) of the Bihar Municipal Act, 2007 against the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor shall be considered and disposed of as per the following process:-

(i) To remove the Chief Councillor/the Deputy Chief Councillor, a special meeting of the elected Councillors shall be called for. Such special meeting shall be requisitioned and signed by not less than one third of the total numbers of the elected Councillors which shall be given to the Chief Councillor. Notice shall be issued by the Chief Councillor for the special meeting of the Urban Local Body within seven days from receipt of requisition and the meeting shall be convened within fifteen days of the date of issuance of the notice.

(ii) The Special Meeting shall be presided over by the Chief Councillor, if the No Confidence motion is against the Deputy Chief Councillor and shall be presided by the Deputy chief Councillor, if the No Confidence motion is against the Chief Councillor and if it is against both

the Chief Councillor and the Deputy chief Councillor, the meeting shall be presided over by the Councillor elected for the purpose by the Councillors in the meeting. In case of post of Deputy Chief Councillor being vacant or in his absence from the meeting convened for discussion on No confidence Motion against the Chief Councillor or the post of the Chief Councillor being vacant or in his absence from the meeting convened for discussion against the Deputy Chief Councillor, the meeting shall be presided over by the member elected for the purpose in the meeting by the Councillors.

(iii) In case the notice not being issued by the Chief Councillor within the stipulated date or not convening the meeting within stipulated time, the special meeting shall be called by the requisitionists as per the provision of section-48 (3) of the Bihar Municipal Act, 2007 and the notice for it shall be issued by the chief Municipal officer.

(iv) The notice issued for considering no confidence motion against the chief Councillor/Deputy Chief Councillor shall clearly contain the reasons/allegations on which basis the no confidence motion is to be brought.

(v) As soon as the meeting, called for, commences, the presiding member at the meeting shall read out the motion on which the meeting has been called, before the members present and declare it open for discussion. During discussion, opportunity shall be given to the Chief Councillor/ Deputy Chief Councillor against whom no confidence motion is moved, to defend himself. The motion shall be put to vote by the presiding member by secret ballot on the same day after discussion and after counting result shall be declared.

(vi) Quorum for the meeting shall be as per the provision of section 50 of the Bihar Municipal Act, 2007

(vii) In the event of both the posts, chief Councillor and Deputy Chief Councillor falling vacant as a sequel to the passage of the No Confidence Motion, till the new Chief Councillor and Deputy Chief Councillor are elected, all the powers and duties which, under the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or any other law for the time being in force, are to be exercised or performed by the Chief Councillor, shall be exercised or performed by the Chief Municipal Officer of the Municipality.

(viii) On completion of the process, the chief Municipal officer shall submit a written report to the State Election Commission.

(ix) Where the posts of chief Councillor/ Deputy Chief Councillor fall vacant as a consequence of no confidence motion, the process of electing new chief Councillor or Deputy Chief Councillor shall be completed within 30 days of report to the State Election Commission.

By the order of the Governor of Bihar

Sd/- 7/6/11

(Arbind Kumar Singh)
Deputy Secretary-Cum-Director
Urban Development and Housing Department

Memo No-4 (N) Vidhi-6/2009- 3186 /U.D&H.D /Patna, dated- 7-6-10

Copy to Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use immediately.

7/6/10

Deputy Secretary-Cum-Director
Urban Development and Housing Department

Memo No-4 (N) Vidhi-6/2009- 3186 /U.D&H.D /Patna, dated- 7-6-10

Copy to-Divisional Commissioner, Patna, Magadh, Bhagalpur, Tirhut, Saran, Munger Kosi and Purnea/ All District Magistrates for information and necessary action.

7/6/10

Deputy Secretary-Cum-Director
Urban Development and Housing Department

Memo No-4 (N) Vidhi-6/2009- 3186 /U.D&H.D /Patna, dated- 7-6-10

Copy to-All Chief Concillors/ Duputy Chief Concillors/ All Municipal Commissioners/ All Municipal officers/ All Municipal Corporations/ All Municipal councils/ All Nagar Panchayats for information and necessary action.

7/6/10

Deputy Secretary-Cum-Director
Urban Development and Housing Department

Memo No-4 (N) Vidhi-6/2009- 3186 /U.D&H.D /Patna, dated- 7-6-10

Copy to-Secretary, State Election Commission, Bihar, Patna for information and necessary action.

7/6/10

Deputy Secretary-Cum-Director
Urban Development and Housing Department